

तारीख
हुस

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अदालत
हुस या
में जाय

सेवा

02/03/2019

पत्रावली का प्रकृति बंद किया। पत्रावली में एक प्रार्थना-पत्र वास्ते राजीनामा तस्दीक करने दिनांक 31/08/2018 को प्रस्तुत हुआ जो उसी राज वाकअदा तस्दीक होकर शामिल प्रिसब हुआ। इस राजीनामे के अनुसार अपीलॉट ने लोक महानत की भावना से प्रेरित होकर उत्तरदातागण से सहमति। अनापति स्वरूप इस पर हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करके रिस्पोंडेंट ने अपना एक त्याग किया जाना जातिर कर स्वीकार किया। रिस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 22/05/2012 को अपास्त फरमान में भी अपनी अनापति जातिर कर ही भौर प्रह भी जताया कि भविष्य में भी वादग्रस्त भूमि में इनका कोई एक हिस्से बावत-उपर/अतराज की भावना से प्रेरित होकर उत्तरदातागण को स्वीकार करने में कोई आपति नहीं है। अपील का निस्तारण प्रस्तुत तस्दीक हुआ है। राजीनामा के अनुसार किया जाना न्यायालय अतः राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाधीन स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन भाग्य दिनांक 22/05/2012 को अपास्त किया जाकर इसका अनुक्रम में पहला तस्दीक पत्रावली को भी निष्प्रभावी करार दिया जाता है तब अनुसार राजद्वार रिकॉर्ड में हुई किसी तस्दीकी को पूर्ववत बहाल किया जाते के आदेश तहसीलदार रामसर को दिये जाते है। सुनाया गया। पत्रावली के साथ शुमार है।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जायपुर